ई0मेल/आवश्यक

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला),
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0/वॉक इन इण्टरव्यू/400/2019/4574 लखनऊः दिनॉक, 3/10/2019

विषयः वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के योगदान कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबध में कहना है कि वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के बारे में परिधिगत अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह संज्ञान में आया कि वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से नियुक्त परामर्शी चिकित्सकों को उनकी 01 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त बगैर महानिदेशालय द्वारा निर्गत सेवाविस्तार के आदेश के बिना ही उनसे कार्य लिया जा रहा है तथा कतिपय माह बीतने के पश्चात उनकी परफार्मेंश रिर्पोट प्रेषित करते हुए उनके सेवा विस्तार का अनुरोध किया जाता है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है तथा शासकीय नियमों का खुला उल्लंघन है। यह भी संज्ञान में आया है कि निर्धारित अवधि 15 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात भी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा चिकित्सकों को बगैर महानिदेशालय से दिशा–निर्देश प्राप्त किये कार्यभार ग्रहण करा लिया जाता है, जिससे न केवल महानिदेशालय के आदेशों की अवहेलना होती है अपितु विभाग की छबि भी खराब होती है तथा रिक्त पदों का सही आकलन नही हो पाता है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित चिकित्सक को उनकी एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरान्त किसी भी दशा में महानिदेशालय से सेवाविस्तार कराये बिना कार्य न लिया जाय तथा वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को निर्धारित अवधि 15 दिन के भीतर योगदान न करने पर कार्यभार ग्रहण न कराया जाय, अन्यथा की दशा में शासकीय आदेशों की अवहेलना का पूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा तथा नियमानुसार अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली की जायेगी।

भवदीय,

निदेशक (प्रशिक्षण)